वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 26.03.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 26.03.2025

वीडीए सचिव ने दशाश्वमेध वार्ड का किया निरीक्षण, दी चेतावनी

वाराणसी। वीडीए सचिव सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने मंगलवार को दशाश्वमेध वार्ड के भिटारी रोड, दशाश्वमेध पर राघवेंद्र त्रिपाठी की ओर से किए जा रहे ग्रुप हाउसिंग निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसमें शेल्टर फीस जमा नहीं मिली। कंपाउंडिंग मानचित्र भी स्वीकृत नहीं कराया गया है। मौके पर दो अवैध तल और एक अवैध बेसमेंट का निर्माण किया गया था। इस पर सचिव ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। ब्यूरो

12 बीघे की दो अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए की ओर से मंगलवार को दो जगहों पर 12 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार नगवां वार्ड के भदवर रोहनिया में 10 बीघे में अवैध प्लॉटिंग सारनाथ वार्ड के दामोदरपुर में 2 बीघे में अवैध प्लॉटिंग कराई जा रही थी। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 26.03.2025

व्यावसायिक केंद्र के पुनर्निर्माण पर चर्चा

वाराणसी। जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक केंद्र के पुनर्निर्माण को लेकर वीडीए अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में केंद्र के जर्जर होने के कारण इसके पुनर्निर्माण के लिए वीडीए और एनबीसीसी के बीच एमओयू हो चुका है। इस के लिए एनबीसीसी और एमएस कोलियर की ओर से प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी कराई गई थी। इस बैठक में नगर नियोजक प्रभात कुमार, आर्किटेक्ट गोविंद श्रीवास्तव, रोहित रैना आदि मौजूद रहे। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 26.03.2025

बेसमेंट और दो मंजिल अतिरिक्त बनाई, काम बंद

जागरण संवाददाता, वाराणसी : स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश मिलने के बाद भी जोन स्तर पर अमल में नहीं लाने पर मंगलवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा खुद क्षेत्र में निकल पड़े। एक ग्रुप हाउसिंग में बेसमेंट और दो मंजिल अतिरिक्त बनाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जोनल अधिकारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कहा कि शमन मानचित्र स्वीकृत होने के बाद ही दोबारा निर्माण कार्य किया जाए। मौके पर अवर अभियंता को नजर रखने को कहा।

सचिव ने बताया कि दशाश्वमेध वार्ड के भिटारी रोड पर एसआइपीएल कंस्ट्रक्शन के राघवेंद्र त्रिपाठी का ग्रुप हाउसिंग में 2019 में नक्शा पास है। इस दौरान इन्हें 2.85 करोड़ रुपये शुल्क जमा करना था लेकिन एक करोड़ रुपये ही जमा किए। दो टावर में ए ब्लाक में एक बेसमेंट और बी ब्लाक में दो फ्लोर अतिरिक्त बनाए गए हैं। मौके पर निर्माण कार्य रोकते हुए एसआइपीएल कंस्ट्रक्शन को संशोधित शमन मानचित्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। जोनल अधिकारी सौरभ कुमार ने बताया कि बिना शमन मानचित्र स्वीकृत किए दोबारा निर्माण मिलने पर उक्त भवन को सील करने के साथ थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

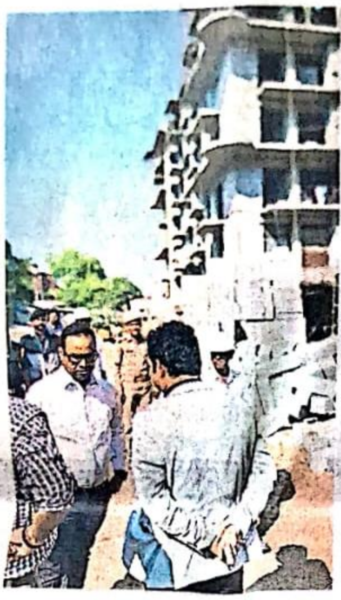

ग्रुप हाउसिंग में अतिरिक्त निर्माण मिलने पर बिल्डर से पूछताछ करते वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ● स्रोत, वीडीए

वर्ष 2019 में मानचित्र स्वीकृत होने के बाद भी एसआइपीएल कंस्ट्रक्शन के बिल्डर ने नहीं जमा किए फीस के 1.85 करोड़ रुपये

गंदगी मिलने पर करें कार्रवाई : वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा को दशाश्वमेध प्लाजा निरीक्षण के दौरान गंदगी मिलने पर नाराजगी जाहिर की। तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ गंदगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। जिन दुकानों का आवंटन हो चुका और आवंटी द्वारा बंद किया गया उनसे संपर्क कर खोलने को कहा जाए अन्यथा आवंटन प्रक्रिया निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

वीडीए की टीम ने 12 बीघे में तोड़ी अवैध प्लाटिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग और निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जोन चार के जोनल अधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि नगवां वार्ड के भदवर में कंठी यादव वीडीए से बिना ले-आउट पास कराए 10 बीघे में अवैध तरीके से प्लाटिंग कर रहे थे। बुलडोजर से सभी बाउंड्री को तोड दिया गया। जोन दो के जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार ने बताया कि सारनाथ वार्ड के दामोदर में दो बीघे में अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। बुलडोजर से सभी बाउंड्री को तोड़ दिया गया। वीडीए उपाध्यक्ष के अनुसार अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

आज–दि0 26.03.2025

प्लाटिंग पर चली जेसीबी

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर वार्ड नगवा में कंथी यादव नामक कास्टकार मौजा-भदवर में दस बीघे जमीन पर प्लाटिंग की कारवाई शुरू कर दी थी। जानकारी मिलने पर कास्टकार को विभाग से नोटिस भी भेजी गयी थी लेकिन प्लाटिंग का काम जारी रहा। मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला, क्षेत्रीय सुपरवाइजर और पुलिस की सहयोग से प्रवर्तन विभाग के कर्मचारियों ने जेसीबी के माध्यम से निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया। इसीक्रम में वार्ड सारनाथ मौजा-दामोदरपुर भूमि स्वामी रामचंदर वर्मा ने दो बीघे जमीन पर प्लाटिंग की कारवाई शुरू कर दी थी। शिकायत के आधार पर मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी श्रीप्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार, क्षेत्रीय सुपरवाइजर के सहयोग से प्लाटिंग पर हुए निर्माण कार्य को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया।

हिन्दुस्तान–दि0 26.03.2025

बहुमंजिली इमारत के दो तल होंगे सील

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने भिटारी रोड पर ग्रुप हाउसिंग निर्माण का निरीक्षण किया। बिल्डर द्वारा अवैध रूप से दो फ्लोर बनाने के साथ बेसमेंट का निर्माण न करने पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये गयें। उन्होंने जोनल अधिकारी को बिल्डर को नोटिस जारी करने को कहा। इसके अलावा बीडीए सचिव ने दशाश्वमेध प्लाजा का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में बेहतर सफाई कराने को कहा। इस दौरान जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति, जेई रवीन्द्र प्रकाश मौजूद रहे।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 26.03.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा मालियों के लिए टोपियरी कला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

वाराणसी । विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर पार्कों में टोपियरी कला का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया

गया। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर अनिल मौर्या को बुलाया गया, जिनके द्वारा पार्क में काम कर रहे मालियों को टोपियरी कला में प्रशिक्षण दिया गया।टोपियरी कला एक प्राचीन बागवानी कला है, जिसमें पौधों को विशेष आकार देने के लिए उनकी शाखाओं और पत्तियों को काटकर एक निर्धारित रूप में ढाला जाता है। इसमें पौधों को कलात्मक रूप से सजाया जाता है, ताकि वे विभिन्न आकारों जैसे बाल शेप, जानवर, आकृतियाँ, या अन्य संरचनाएँ बना सकें। यह कला सौंदर्य और सजावट के लिए इस्तेमाल होती है और सार्वजनिक पार्कों, बागों और बगीचों में आमतौर पर देखी जाती है।फाइकस और मिनी इक्सोरा पौधों से बाल शेप, शिवलिंग और मशरूम जैसे आकर्षक आकार तैयार किए गए इस प्रशिक्षण से मालियों को अपनी कार्यकुशलता में सुधार होगा और उन्हें नए कौशल सीखने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। मौके पर हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट रामधनी प्रसाद और आकांक्षा सिंह उपस्थित रहीं ।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 26.03.2025

वाविप्रा द्वारा मालियों के लिए टोपियरी कला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

वाराणसी ।वाराणसी विकास प्राधिकरण के 'उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग' के निर्देशानुसार पार्कों में टोपियरी कला का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मास्टर ट्रेनर अनिल मौर्या को बुलाया गयाए जिनके द्वारा पार्क में काम कर रहे मालियों को टोपियरी कला में प्रशिक्षण दिया गया। 'टोपियरी कला एक प्राचीन बागवानी कला हैए जिसमें पौधों को विशेष आकार देने के लिए उनकी शाखाओं और पत्तियों को काटकर एक निर्धारित रूप में ढाला जाता है। इसमें पौधों को कलात्मक रूप से सजाया जाता हैए ताकि वे विभिन्न आकारों जैसे बाल शेपए जानवरए आकृतियाँए या अन्य संरचनाएँ बना सकें। यह कला सौंदर्य और सजावट के लिए इस्तेमाल होती है और सार्वजनिक पार्कोंए बागों और बगीचों में आमतौर पर देखी जाती है।'फाइकस और मिनी इक्सोरा पौधों से बाल शेपए शिवलिंग और मशरूम जैसे आकर्षक आकार तैयार किए गए।इस प्रशिक्षण से मालियों को अपनी कार्यकुशलता में सुधार होगा और उन्हें नए कौशल सीखने का मौका मिलेगाए जिससे वे अपने काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकेंगे। 'मौके पर हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट रामधनी प्रसाद और आकांक्षा सिंह उपस्थित रहीं ।'

न्यायाधीश–दि0 26.03.2025

वाविप्रा जोन-4 द्वारा की गई अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी ।वाविप्रा उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी।वार्ड- नगवां के अन्तर्गत कंठी यादव, द्वारा मौजा-भदवर, थाना - रोहनिया, हेरिटेज के पीछे लगभग 10 बीघे में अवैध प्लाटिंग बिना लेआउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी, उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 25.03.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी श्री संजीव कुमार, अवर अभियंता श्री आदर्श निराला व प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।